डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)

विश्वविद्यालय कार्यालय,
क्रमांकः डीसीडीसी/115
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबंद्धता—निरंतरता सत्र 2011—12 में भी जारी है ।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेश्न सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेकनालाजी एवं माइक्रोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वार्द्ध—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वार्द्ध
10. एम.एससी.पूर्वार्द्ध— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

कुलसचिव
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानवीर महाविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 15.09.2009

क्रमांक / समिति / साप्र. / 2009-10 / 7645

7 OCT 2009

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानवीर महाविद्यालय,
गोपालगंज,
सागर ।

विषय : बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि विषयक ।

संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 02.02.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में कुलपति महोदय के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम बी.सी.ए. में 60 सीट के स्थान पर 100 सीट एवं बी.बी.ए. (ऑनर्स) में 30 के स्थान पर 60 सीट की वृद्धि सत्र 2009-10 से की जाती है ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
2. कक्ष सहायक — परीक्षा सहायक
3. कुलपति जी के सचिव

उपकुलसचिव (समिति)
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक /आउशि/संबद्ध/07 भोपाल,दिनांक–
प्रति,

कुल सचिव,
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म०प्र०)

विषयः– मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अंतर्गत अनुमति–अशासकीय ज्ञानवीर महाविद्यालय सागर ।
संदर्भः– संस्था का आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 29.12.07 एवं 14.5.08

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम ज्ञानवीर सेवा समिति सागर द्वारा संचालित अशासकीय ज्ञानवीर महाविद्यालय सागर को सत्र 2008–09 से निम्नानुसार कक्षाऐं / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

विषय/पाठ्यक्रम
बी0बी0ए0 –(आनर्स)प्रथम

2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :–
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से कर ले ।
3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
4/ उक्त पाठ्यकम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 मंजुला शर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक 831/आउशि/संबद्ध/07 भोपाल,दिनांक 31.5.08
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा जबलपुर–सागर संभाग जबलपुर ।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी कला/वाणिज्य महाविद्यालय सागर ।
4. प्राचार्य, अशासकीय ज्ञानवीर महाविद्यालय गोपालगंज सागर ।

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)

क्रमांक समिति / सबं0 / 2008–09 / 498

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 08.08.2008

–अधिसूचना–

परिनियम 27 के प्रावधानो के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन मे की गई अनुशंसाओं के आधार पर विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.08.2008 में विचार कर तीन माह के लिए प्रावधिक सम्बद्धता की सशर्त अनुशंसा की गई । विद्यापरिषद की स्थायी समिति की अनुशंसा कुलपति जी ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्ञानवीर महाविद्यालय सागर को बी0बी0ए0 आनर्स प्रथम वर्ष (30 सीट) पाठ्यक्रम में सत्र 2008–09 हेतु निम्नांकित शर्तों के तहत तीन माह के लिए प्रावधिक सबंद्धता प्रदान की जाती है ।

शर्तें :–

1–विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.08.2008 के निर्णयानुसार महाविद्यालय उक्त बैठक दिनांक से तीन माह के अन्दर परिनियम 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से कर ले, यदि तीन माह मे महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने मे असमर्थ रहता है तो महाविद्यालय में प्रवेशरत् छात्रों को अन्य सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जावेगा ।
2–महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा ।
3–महाविद्यालय को परिनियम क्रमांक 28 के प्रावधानानुसार शासी निकाय की नियमित बैठके आयोजित करना होगी ।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव (समिति)
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि:–

1–प्राचार्य, ज्ञानवीर महाविद्यालय सागर–को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें । निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है ।
2–अध्यक्ष, शासी निकाय,संबंधित महाविद्यालय
3–मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन,वल्लभ भवन भोपाल
4–आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन,सतपुड़ा भवन भोपाल
5–संबंधित अग्रणी महाविद्यालय– शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर
6–संचालक,महाविद्यालयीन विकास परिषद
7–उपकुलसचिव परीक्षा, / गोपनीय / प्रशासन / विकास
8–सहायक कुलसचिव परीक्षा / प्रशासन
9–शाखा प्रभारी – परीक्षा / नामाकन / पाठ्यक्रम / गोपनीय
10–संबंधित कक्ष सहायक परीक्षा शाखा
11–कुलपति जी के निजी सचिव / कुलसचिव जी के निजी सहायक

सहायक कुलसचिव (समिति)
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

Affiliation College